फार्म नम्बर III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **सहायक कलक्टर** मुकाम **ओसियां**

पुरखाराम *बनाम* **हुकमाराम वगैरा**

किस्म मुकदमा **राजस्व विविध प्रार्थना पत्र** नम्बर 117/2021 सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24/9/21	प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मौजा शिवनगर, पटवार हल्का घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 3.2537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 10.3680 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी व अन्य खातेदारान संयुक्त रूप से काबिज है। उक्त वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से कोई भौतिक विभाजन किया हुआ नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आई हुई है जिसका मौके पर किसी भी प्रकार से कोई भौतिक विभाजन किया हुआ नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वादग्रस्त भूमि की कीमती जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। उक्त वादग्रस्त भूमि में एक तरफ समतल भूमि आई हुई है वहीं दुसरी तरफ रेतीले टीले आये हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 समतल भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जबकि प्रार्थी का भी समतल भूमि में समान रूप से हक एवं हिस्सा है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 विशेष भू-भाग पर जबरदस्ती तारबन्दी के खुंटे रोपकर वादग्रस्त भूमि का विशेष भू-भाग अजनबी क्रेता को बताकर बेचान करने हेतु उतारू है परन्तु उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को अनेकों बार समझाया कि उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि जिसमें समतल भूमि एवं धोरे की भूमि आई हुई है उसे समान रूप से आपस में बंटवाड़ा कर ले परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कीमती व समतल भूमि के विशेष भू-भाग को अजनबी क्रेता को बेचने हेतु उतारू है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को समझाना चाहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के विरूद्ध प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय हाजा में इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है कि वादग्रस्त भूमि में किसी निश्चित भू-भाग पर अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार से कब्जा एवं बेचान नहीं न किसी अन्य से करावें प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करें। प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक	

सहायक कलक्टर, ओसियां

अवलोकन किया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 3.2537 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 10.3680 हैक्टेयर, ग्राम शिवनगर, पटवार हल्का घेवड़ा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में अप्रार्थी संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें न किसी अन्य से करावें मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते ईन्तजार तलबी हेतु दिनांक 3.11.2021 को पेश हो।

न्यायालय तहसीलदार, तिंवरी

.11.21 पत्रावली पेश हुई। समय पाठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पेशी मुल्तवी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.3.22 को पेश हो। आदेश है।

30/3 पत्रावली पेश हुई। समय पाठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पेशी मुल्तवी की जाकर पत्रावली दिनांक 18/5/22 को पेश हो। आदेश है।

18/5 पत्रावली पेश हुई। समय पाठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पेशी मुल्तवी की जाकर पत्रावली दिनांक 11/7/22 को पेश हो। आदेश है।

17/6/22 पत्रावली मूल वाद के संलग्न प्रार्थना पत्र पर तलब की गई मूल वाद जरिए डिग्री खारिज हो चुका है इस पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः पत्रावली को खारिज की जाती है पत्रावली [illegible] मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो

न्यायालय तहसीलदार, तिंवरी